भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *229

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

जन पोषण केंद्र

***229. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुदरा डीलरों की आय बढ़ाने के लिए जन पोषण केंद्र नाम से एक नई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रायोगिक परियोजना का केरल तक विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 229 (नौवां स्थान) के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 20 अगस्त, 2024 को 60 उचित दर दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र में रुपांतरित करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया है।

यह प्रायोगिक अध्ययन गुजरात (अहमदाबाद), तेलंगाना (हैदराबाद), राजस्थान (जयपुर) और उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद) राज्यों/जिलों में प्रारंभ किया गया है।

लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार ने एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए इस प्रायोगिक अध्ययन की शुरुआत की है। भारत सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ साझेदारी करके संबंधित राज्यों के सहयोग से, इनवॉइस वित्तपोषण और बी2बी ऑनलाइन थोक एग्रीगेटर्स के रूप में कार्यशील पूंजी के प्रावधान के लिए इन एफपीएस दुकानों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है ताकि पोषण-सघन वस्तुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-पीडीएस वस्तुओं की बिक्री की जा सके।

इसके अलावा, कौशल विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभाग ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है ताकि एफपीएस मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और उन्हें नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल प्रदान किया जा सके।

(ग) से (ड.): राज्यों को अपने राज्यों के भीतर जेपीके मॉडल को किसी भी संख्या तक, जो वे आवश्यक समझते हों, बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

*****